फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हुकम सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
जाति राजपूत निवासी कोसेलाव
तहसील बाली
जिला पाली

व्यवस्थापक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय
विद्यालय आबूपर्वत, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 73 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में आये हुए
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय आबूपर्वत, सिरोही को दिनॉक 08.9.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय संस्था का मूल उद्देश्य क्या है कि संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय आबूपर्वत, सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय आबूपर्वत, सिरोही को दिनॉक 08.9.2018 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय संस्था का मूल उद्देश्य क्या है , से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय आबूपर्वत, एक निजी संस्था है । जिसके अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही हैं । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनु[illegible] [illegible]रवाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned by CamScanner